



# महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

## परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 31-10-2017 का कार्यवृत्त

परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 31-10-2017 को अपराह्न 04:00 बजे माननीय कुलपति जी अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए :—

1. डॉ० पृथ्वीश नाग, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो० उमारानी त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय	सदस्य
3. प्रो० कृपा शंकर जायसवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय	सदस्य
4. प्रो० अरविन्द कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय	सदस्य
5. प्रो० सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
6. प्रो० सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	सदस्य
7. डॉ० संतोष सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि विज्ञान संकाय	सदस्य
8. प्रो० अशोक कुमार मिश्र, संकायाध्यक्ष, चिकित्सा विज्ञान संकाय	सदस्य
9. डॉ० रामलोचन, प्राचार्य—श्रीमती इन्दिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, मिर्जापुर	सदस्य
10. डॉ० (श्रीमती) अजय गोस्वामी, प्राचार्य—डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, संतरविदास नगर, भदोही	सदस्य
11. डॉ० अवधेश सिंह, अध्यक्ष—सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	विशेष आमंत्रित
12. डॉ० श्रीरंग नाथ, महामंत्री—सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	विशेष आमंत्रित
13. श्री ओम प्रकाश, कुलसचिव	सदस्य—सचिव

### विश्वविद्यालय के अधिकारीगण :—

- श्री व्यास नारायण सिंह, उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य
- डॉ० राकेश मिश्र, सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य

### बैठक में अधोलिखित निर्णय लिए गए :—

कार्य सूची-01	आयुर्वेद की स्नातकीय शिक्षा (बी०ए०ए०ए०स०) का परीक्षाफल घोषित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के स्वीकार करते हुए प्रथम व्यवसायिक का परीक्षाफल तदनुसार विषय के सैद्धान्तिक दोनों प्रश्नपत्रों के योग एवं प्रयोगात्मक में पृथक—पृथक न्यूनतम् 50% उत्तीर्णक के आधार पर घोषित करने का निर्णय लिया गया।
निर्णय :	परीक्षा समिति द्वारा बी०ए०ए०ए०स० परीक्षाफल घोषित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों को स्वीकार करते हुए प्रथम व्यवसायिक का परीक्षाफल तदनुसार विषय के सैद्धान्तिक दोनों प्रश्नपत्रों के योग एवं प्रयोगात्मक में

**अध्यक्ष की अनुमति से –**

प्रस्ताव-2	स्वकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्धक—मां गायत्री महिला महाविद्यालय, हिंगुतरगढ़, चन्दौली के पत्र पर विचार।
निर्णय :	स्वकेन्द्र बनाये जाने की मांग को अस्वीकार करते हुए शासन द्वारा निर्धारित तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार भविष्य में केन्द्र निर्धारण का निर्णय लिया गया।
प्रस्ताव-3	डॉ० हेमेन्द्र कुमार सिंह शिक्षाशास्त्र विभाग, जगतपुर पी० जी० कालेज, वाराणसी को तीन वर्ष हेतु परीक्षकत्व दायित्व से विरत करने सम्बन्धी निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु श्री रवीन्द्र जायसवाल विधायक के पत्र पर विचार।
निर्णय :	परीक्षा समिति ने डॉ० हेमेन्द्र कुमार सिंह के प्रकरण पर पुनर्विचार कर परीक्षकत्व सम्बन्धी कार्यों से तीन वर्ष विरत रखने के निर्णय को शिथिल कर एक वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
प्रस्ताव-4	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के पश्चात् बी० एड०/बी०टी०सी० की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने तथा तत्पश्चात् पुनः स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	परीक्षा समिति ने पूर्व में लिए गये निर्णयों को यथावत रखते हुए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बीच में किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने को अनियमित मानते हुए प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।
प्रस्ताव-5	बी० एड० पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में शैक्षणिक विषयों का गलत चयन कर परीक्षा में सम्मिलित हो जाने एवं शिक्षण कार्य सही विषय में करने वाले छात्रों को त्रुटि सुधार हेतु एक अवसर प्रदान करने सम्बन्धी प्राचार्य पं० महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय मिर्जापुर के पत्र पर विचार।
निर्णय :	परीक्षा समिति ने ऐसे सभी छात्रों को जिनका लिखित परीक्षा दूसरे विषय में तथा शैक्षणिक कार्य दूसरे विषय में हुआ है उन्हें शैक्षणिक कार्य के विषय में लिखित परीक्षा देने हेतु सम्बन्धित सेमेस्टर परीक्षा के साथ एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया।
प्रस्ताव-6	सूचना अधिकार के अन्तर्गत अपनी उत्तर पुरितका प्राप्त कर कुछ परीक्षार्थियों द्वारा मूल्यांकन त्रुटि की शिकायत पर परीक्षण करने के उपरान्त अंकों में हुई वृद्धि पर विचार।

**निर्णय :** परीक्षा समिति ने परीक्षण के पश्चात् परीक्षकों की आख्या पर विचार कर एस० ए०—गृहविज्ञान, तृतीय सेमेस्टर, अनुक्रमांक—42016530698, बी०एस०—सी० (भौतिक विज्ञान) प्रथम खण्ड, अनुक्रमांक—12317040239 तथा बी०सी०ए०—तृतीय सेमेस्टर, अनुक्रमांक—11815100177 पंचम प्रश्न पत्र, अनुक्रमांक—43016440083, प्रथम प्रश्न पत्र एवं अनुक्रमांक 43015100041 तृतीय प्रश्न पत्र के अंकों में हुई बृद्धि को स्वीकार करते हुए तदनुसार अंकपत्र संशोधित करने तथा 05 अंक से अधिक बृद्धि पर परीक्षक को चिन्हाकित करके एक वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से विरत रखने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह०

**कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक**

पत्रांक : प०गो०/ १३७८ /परीक्षा समिति / २०१७


ह०

**कुलपति**

दिनांक : १३ नवम्बर, २०१७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सम्मानित सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. कुलसचिव।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव—परीक्षा सामान्य।
6. अधीक्षक—परीक्षा गोपनीय/समिति अनुभाग।
7. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपरोक्त कार्यवृत्त को सम्बन्धित व्यक्ति एवं जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

  
**कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक**